

न्यायालय नायब तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या :-105/16

दायर दिनांक :- 13-05-2016

निर्णय दिनांक :-10.07.2016

अनवान

राजस्थान सरकार जरिए पटवारी हल्का अरणियाली

बनाम

नेमीचन्द, पारसमल / पीरचन्द कौम सोनी साकिन अरनियाली

निर्णय


दिनांक :-10-07-2016

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का अरणियाली ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम अरणियाली के आराजी नम्बर 17/17 रकबा 0.03 बीघा भूमि किस्म बा0दो0 लगान 1.00 रूपये भूमि पर द्वारा संवत 2072 में दुकानो का निर्माण कर प्रयोजन बनाकर कर कृषि से गैर कृषि प्रयोग बिना भूमि संपरिवर्तन कराये अतिक्रमण कर रखा है। अतः अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 अ सपठित 91 आर.एल.आर. के तहत बेदखली की कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

इस पर पत्रावली दर्ल रजिस्टर की जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस के जरिए तलब किया गया। गैरसायल अनुपस्थित। गैरसायल की ओर से कोई जबाब, साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं हुआ है।

मेरे द्वारा उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि गैरसायल द्वारा विवादित भूमि अतिक्रमण कर रखा है। जिससे गैरसायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 अ सपठित 91 आर.एल.आर. के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं तत्काल प्रभाव से विवादित भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा वार्षिक लगान 01 रूपये रूपये का 50 गुणा, 50 रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। जो गैरसायल से वसूल किया जावे। तथा मौके पर स्थित अन्य कोई सामग्री को जब्त सरकार निलामी के आदेश दिये जाते हैं। टी0आर0ए0 तथा पटवारी हल्का को मांगकायमी एवं बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.7.2016 को मुकाम धोरीमन्ना पर सुनाया गया।


नायब तहसीलदार
धोरीमन्ना
जिला बाड़मेर।